पत्र संख्या–6/आधु0–01–05/2016गृ0आ0................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक

विषय :– **पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015–16 के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) तथा राज्यांश ₹ 1728.05 लाख (सत्रह करोड़ अठाईस लाख पाँच हजार रू0) यानि कुल ₹ 4040.05 लाख (चालीस करोड़ चालीस लाख पाँच हजार रू0) मात्र के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो में कराये जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) तथा इसके समानुपाति राज्यांश ₹ 1542.00 लाख (पन्द्रह करोड़ बयालीस लाख पाँच हजार रू0) यानि कुल ₹ 3854.00 लाख (अड़तीस करोड़ चौवन लाख रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के High Power Committee (HPC) की दिनांक 30.06.2015 की बैठक द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष–2015–16 के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पत्रांक–21011/02/2015-PM-I, दिनांक–24.07.2015 द्वारा गैर योजना मद में ₹ 4270.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत वार्षिक योजना 2015–16 के विरूद्ध गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक–VI-21011/50/2015-PM-I, (Vol-I) दिनांक–04.03.2016 से गैर योजना मद में केन्द्रांश के रूप में ₹ 1802.00 लाख (अठारह करोड़ दो लाख रू0) मात्र एवं पत्रांक–VI-21011/50/2015-,(Vol-iii)-PM-I, दिनांक–16.03.2016 द्वारा राज्य के छः नक्सल प्रभावित जिलों में प्रति जिला ₹ 85.00 लाख की दर से ₹ 510.00 लाख अर्थात कुल ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) मात्र विमुक्त किया है।

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 की पुलिस आधुनिकीकरण योजना के प्रस्ताव में से गैर योजना मद में केन्द्राशं ₹ 1802.02841 लाख एवं राज्यांश ₹ 1388.3215 लाख यानि कुल ₹ 3190.35 लाख की लागत की परियोजना के मदों की विवरणी निम्न प्रकार है:–

(₹ लाख में)

क्र0 स0	मद का नाम	केन्द्राशं	राज्यांश	कुल
1	गतिशीलता	167.98312	129.41688	297.40
2	विधि विज्ञान	229.26815	176.63185	405.90
3	संचार	358.38464	276.11537	634.50
4	उपकरण	1046.39251	806.15749	1852.55
कुल योग		**1802.02841**	**1388.3215**	**3190.35**

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 की पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के छः नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विमुक्त ₹ 510.00 लाख के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश ₹ 339.72 लाख यानि कुल ₹ 849.72 लाख राज्य के छः अति उग्रवाद प्रभावित जिले यथा–गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, जमुई, बाँका एवं नवादा के लिए व्यय किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2015–16 की पुलिस आधुनिकीकरण योजना के गैर योजना मद में ₹ 4270.00 लाख में से केन्द्रीय मद में विमुक्त केन्द्रांश ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) मात्र तथा राज्यांश ₹ 1728.05 लाख (सत्रह करोड़ अठाईस लाख पाँच हजार रू0) यानि कुल ₹ 4040.05 लाख (चालीस करोड़ चालीस लाख पाँच हजार रू0) मात्र के मदों की विवरणी परिशिष्ट "क" एवं परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

5. पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015–16 के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) तथा राज्यांश ₹ 1728.05 लाख (सत्रह करोड़ अठाईस लाख पाँच सौ रू0) यानि कुल ₹ 4040.05 लाख (चालीस करोड़ चालीस लाख पाँच हजार रू0) मात्र के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो में कराये जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) तथा इसके समानुपाति राज्यांश ₹ 1542.00 लाख (पन्द्रह करोड़ बयालीस लाख पाँच हजार रू0) यानि कुल ₹ 3854.00 लाख (अड़तीस करोड़ चौवन लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त राशि का व्यय गैर योजना की मांग सं0–22, बजट शीर्ष–2055–पुलिस, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष–0001–पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि, विषय शीर्ष– 52 01–मशीनें एवं उपस्कर तथा विपत्र कोड N2055001150001 में केन्द्रांश/राज्यांश के अंतर्गत उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं अनुवर्ती वर्षों में विकलनीय होगा।

7. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

8. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

9. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

11. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

12. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

13. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 05.08.2016 में मद सं0–03 के रूप में प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6/आधु0–01–05/2016 गृ0आ0 के पृ0–32/टि0 पर दिनांक 18.08.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/आधु0–01–05/2016गृ0आ0.........6704.........पटना, दिनांक 26. अगस्त, 2015

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 26/08/16

सरकार के अवर सचिव

26.8.16